संख्या–22 / 16 / 92 / टी0सी0–III –का–2–2012012

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उ0प्र0 शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांकः 20 जून, 2012

विषयः– *राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।*

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न सरकारी नौकरियों के चयन में आरक्षण का लाभ लेने हेतु (जिसमें आयु सीमा में शिथिलता आदि शामिल हैं) प्रारम्भिक स्तर पर ही अर्थात आवेदन पत्र के साथ ही जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। प्रारम्भिक स्तर पर ही जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने के कारण तहसीलों में प्रमाण–पत्रों को प्राप्त करने के लिये बहुत अधिक संख्या में अभ्यर्थी आते हैं, जिसके कारण तहसीलों के अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य प्रभावित होते हैं तथा आम नागरिकों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

2– *उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुये सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि–*

(1) जिन पदों के लिये चयन का आधार प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार तीनों हैं। इन पदों के लिये जाति प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।

(2) जिन पदों के लिये चयन का आधार लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार है, उन पदों के लिये जाति प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।

(3) जिन पदों के लिये चयन का आधार मात्र साक्षात्कार है, उन पदों के लिये जाति प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।

(4) जिन पदों के लिये चयन का आधार मात्र लिखित परीक्षा है, उन पदों के लिये जाति प्रमाण पत्र *लिखित परीक्षा के लिये आवेदन करते समय प्रस्तुत करना होगा।*

3– उपरोक्त व्यवस्था लागू करते समय सभी अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट रुप से अवगत करा दिया जाय कि यदि वे जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में गलत तथ्य, आवेदन पत्र में प्रस्तुत करते हैं तो न केवल उनका चयन निरस्त होगा बल्कि उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

4– उक्त व्यवस्था को लागू करने के लिये यदि किसी नियमावली या प्रशासकीय विभाग द्वारा किये गये किसी आदेश / निर्देश में संशोधन की आवश्यकता पायी जाये तो उक्त के अनुसार अविलम्ब संशोधन कर लिये जांये।

5— उपरोक्त निर्दिष्ट व्यवस्था इस शासनादेश के जारी होने के पश्चात की तिथि, जिसे प्रशासकीय विभाग निर्धारित करेंगे, लागू होंगे।

भवदीय,
ह0 / –
(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–22 / 16 / 92 / टी0सी0– ।।। –का–2–2012 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, / सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वेब अधिकारी / वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
10. निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को मा0 मंत्रीगण के सूचनार्थ।
11. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
12. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
ह0 / –
(एच0 एल0 गुप्ता)
विशेष सचिव